

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग

दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्र. 166/वित्त/चार/ब-2/2011

रायपुर, दिनांक 30 जुलाई, 2011

प्रति,

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, रायपुर ।

विषय:-लोक निर्माण विभाग के वार्षिक वित्तीय कार्यभार के मानदण्डों का निर्धारण।

संदर्भ:-इस विभाग का पत्र क्रमांक546/976/बी-2/वित्त/चार/2001 दिनांक 19.12.2001

--0--

राज्य शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत रचनाओं के लिए संदर्भित पत्र द्वारा जारी वार्षिक वित्तीय कार्यभार मानदण्डों को एतद् द्वारा संशोधित करते हुए निम्नानुसार वार्षिक वित्तीय कार्यभार मानदण्ड निर्धारित किया जाता है :-


(^० लाख में)

क्र.	कार्य विवरण	वार्षिक वित्तीय कार्यभार प्रति संभाग	वार्षिक वित्तीय कार्यभार प्रति उपसंभाग
1.	भवन तथा सड़क निर्माण	2000.00	500.00
2.	अनुरक्षण तथा मरम्मत	2000.00	500.00

2. सामान्यतः एक संभाग के अंतर्गत 4 या उससे अधिक उपसंभाग होंगे, परन्तु राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक संभाग होगा । जिन जिलों में वार्षिक वित्तीय कार्यभार 20 करोड़ से कम है, वहाँ उपसंभागों की संख्या आनुपातिक रूप से कम रहेगी ।

3. लोक निर्माण विभाग उपरोक्त वित्तीय कार्यभार के अनुसार वर्ष 2011-12 के बजट के आधार पर पदरचनाओं की समीक्षा कर युक्तियुक्तकरण का प्रस्ताव दिनांक 30 अक्टूबर 2011 तक वित्त विभाग को प्रेषित करें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(डॉ. ए.के. सिंह)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के स्टाफ ऑफिसर को सूचनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के निज सचिव को सूचनार्थ ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर को सूचनार्थ ।
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
5. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, सिविल लाइंस, रायपुर ।
6. संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ ।
7. समस्त बजट शाखा, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ ।



(ऋषभ पाराशर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त विभाग